प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा मे,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/पी0एम0एस0एम0ए0/134/टी.सी./2017–18/2480 दिनांक 21.06.2017

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 मे धनराशि का आवंटन एवं सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" का प्रदेश में आरम्भ शासनादेश संख्या–30/2016/634/पॉच–9–2016–9 (127)/12 टी0सी0 दिनांक 19 मई 2016 द्वारा किया गया है। इस अभियान के अर्न्तगत प्रत्येक माह की 09 तारीख को समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भ की द्वितीय/तृतीय तिमाही में राजकीय चिकित्सालयों में "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक" का आयोजन कर कम से कम एक बार विशेषज्ञ अथवा एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की देख–रेख में निःशुल्क प्रसव पूर्व गुणवत्तापरक जाँचों एवं उपचार से आच्छदित किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह अभियान समस्त ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों एवं जनपदीय महिला चिकित्सालयों व शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मेडिकल कॉलेजों में सम्पादित किया जा रहा है। स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अन्य प्राइवेट चिकित्सक भी इस अभियान में राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपना योगदान दे रहें है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का एक वर्ष पूर्ण होने पर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने एवं वित्तीय वर्ष 2017–2018 में अभियान के संचालन हेतु धनराशि आवंटन एवं पुनरीक्षित दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं–

1. **समस्त गर्भवती महिलाओं को** गर्भ के द्वितीय/तृतीय त्रैमास में कम से कम एक बार एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार सेवाएं प्रदान की जायें।
2. निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों/चिकित्सकों को हर महीने की 09 तारीख को उनके जिलों में सरकारी चिकित्सकों के प्रयासों के साथ स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
3. अभियान दिवस पर आयी गर्भवती महिलाओं हेतु बैठनें की व्यवस्था पेयजल तथा जल–पान की व्यवस्था स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जायेगी।
4. अभियान दिवस पर आने वाली गर्भवती महिलाओं को ब्लड प्रेशर, वजन की जांच, समस्त आवश्यक खून, एच0आई0वी0 पेशाब, अल्ट्रासाउण्ड तथा पेट की निःशुल्क जाँचें एवं ग्रुप काउन्सलिंग एवं परामर्श प्रदान किया जाये। यदि सम्बन्धित चिकित्सालय पर कोई जाँच उपलब्ध नही है तो उच्च स्तरीय इकाई पर संदर्भित कर निःशुल्क सेवा से आच्छादित करें।
5. गर्भवती महिलाओं को आवश्यकतानुसार निःशुल्क औषधियाँ का वितरण किया जायेगा। समस्त आवश्यक औषधियों उपलब्धि सुनिश्चित की जाये। अस्पताल के बाहर से दवायें न मंगायी जाये।
6. पी0एम0एस0एम0ए0 में सभी लाभार्थियों को निःशुल्क औषधि एवं डाइग्नोस्टिक सेवायें प्रदान करने के दृष्टिगत चिकित्सालय में ए0एन0सी0 सर्विसेस दे रहे चिकित्सकों को स्वास्थ्य इकाई पर उपलब्ध औषधियों एवं डाइग्नोस्टिक सेवाओं की विस्तृत लिस्ट उपलब्ध करा दी जाये। विशेष परिस्थिति में आवश्यक टेस्ट के लिये जनपद स्तरीय चिकित्सालय में उपलब्ध free diagnostic tests की सूची उपलब्ध करा दी जाये ताकि बाहर से औषधि एवं जाँच हेतु न लिखा जाये। केवल आवश्यकतानुसार विशेष निःशुल्क जाँच हेतु जिला स्तरीय इकाई पर संदर्भित किया जाये।
7. प्रथम बार प्रसव पूर्व जाँच कराने आयी गर्भवती महिला का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण उसी दिन करना सुनिश्चित करें।

8. गर्भवती महिलाओं एम0सी0पी0 कार्ड भरा जायेगा एवं ए0एन0सी0 रजिस्टर पर अंकन भी किया जायेगा। **जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर** उनके मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर **लाल रंग की बिन्दी/एच0आर0पी0 मोहर** लगायी जायें। एच0आर0पी0 महिलाओं का उनके प्रसव की कार्ययोजना सहित रिकॉर्ड स्वास्थ्य इकाई पर सुरक्षित रखा जाये।
9. स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध ए0एन0सी0 रजिस्टर में अभियान के दौरान सेवाये लेने आयी गर्भवती महिलाओं का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हुये पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर सूचना को अपलोड करने के लिये जनपदीय नोडल अधिकारी को उसी दिन रिपोर्ट का प्रेषण करना सुनिश्चित करें। **प्रत्येक दशा में जनपद की संकलित रिपोर्ट माह की 15 तारीख तक पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर अवश्य ही अपलोड कर दी जाये।**
10. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर उमड़ने वाली भीड़ के दृष्टिगत गर्भवती महिलाओं की जाँच, काउन्सलिंग व उपचार आदि के लिये अधिक काउन्टर्स तथा छायादार बैठने के स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। चिकित्सालय में चिकित्सकों लैब टेक्नीशियन्स तथा पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी होने पर समीपस्थ स्वास्थ्य इकाइयों से चिकित्सकों एवं अन्य मानव संसाधन पूल कर पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर सेवायें प्रदान की जाये।
11. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रत्येक जनपद में एक मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक बनाया जाना प्रस्तावित है। यह मॉडल क्लीनिक प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में परिकल्पित क्लीनिक की तरह होगा जिसे कास लर्निंग सेन्टर के रूप में शो केस करने हेतु विकसित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था एवं आवश्यक निर्देश–

1–प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था–

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता को दृष्टिगत जनपद स्तर पर 01 मीडिया वर्कशॉप हेतु, रू0 5000/– की दर से 04 त्रैमासिक समीक्षा बैठकों हेतु रू0 5000/– की दर से तथा चिन्हित जनपद व ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों (फांट में प्रदर्शित संख्या) पर त्रैमासिक बैठकों हेतु रू0 1000/– की दर से, वॉल–राइटिंग हेतु रू0 1000/– की दर से, प्रचार–प्रसार हेतु 03 फ्लैक्स बैनर्स रू0 1000/– तथा लाभार्थियों को जानकारी देने के लिये दिये जाने वाले हैण्ड बिल्स हेतु रू0 2000/– प्रति इकाई की व्यवस्था है। प्रचार प्रसार सामग्री पर पी0एम0एस0एम0ए0 लोगो का प्रयोग अवश्य किया जाये।

बैठकों में IMA, ROTARY, FOGSI, LIONS तथा अन्य NGOs के प्रतिनिधि एवं सेवा प्रदाताओं को सुझाव एवं सहयोग हेतु आमंत्रित किया जाये। जनपद स्तरीय पी0एम0एस0एम0ए0 समिति के सुझाावों पर अमल तथा शिकायतों का निवारण किया जाये। जनपद में पी0एम0एस0एम0ए0 के दौरान श्रेष्ठ सेवायें देने वाले प्राईवेट तथा राजकीय सेवा के चिकित्सकों को सम्मानित किया जाये। बैठकों हेतु निर्धारित धनराशि से प्रशस्ति पत्र एवं प्रति चिन्ह वितरण भी किया जा सकता है। बैठकों के कार्यवृत्त रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जायें। ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच/पी0एम0एस0एम0ए0 नोडल इस हेतु उत्तरदायी होगें।

2–प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में योगदान देने वाले प्राइवेट चिकित्सकों हेतु मोबिलिटी –

पी0एम0एस0एम0ए0 के दौरान पोर्टल पर पंजीकृत, स्वयं सेवी प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा **ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर योगदान देने हेतु रू0 1000/– प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस** मोबिलिटी की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक चिकित्सक को आवागमन हेतु स्वयं के साधन का प्रयोग करना होगा।

ग्रामीण चिकित्सा इकाई द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नही है। प्रत्येक योगदान के लिये एक मुश्त रू0 1000/– की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 द्वारा हस्तान्तारित की जायेगी। **यह धनराशि नगरीय क्षेत्र में योगदान देने वाले चिकित्सकों को देय नही होगी।**

3–प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर आयी गर्भवती महिलाओं हेतु जल–पान की व्यवस्था

पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपना चेक–अप कराने आने वाली गर्भवती महिलाओं को 6–8 घण्टे अस्पताल में व्यतीत करने पड़ते है। इसको ध्यान में रखकर गर्भवती महिलाओं के लिये पेयजल एवं अल्पाहार उपलब्ध कराने हेतु प्राविधान किया गया है। प्रत्येक जनपद की जनपद व ब्लॉक स्तरीय इकाइयों (फांट में प्रदर्शित संख्या) हेतु एकमुश्त रू0 2,000/–प्रति इकाई प्रति माह पी0एम0एस0एम0ए0 अभियान की दर से धनराशि की व्यवस्था है। जलपान में प्रसूताओं को दी जा रही जे0एस0एस0के0 डाइट/उसी भांति फल एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ का वितरण सुनिश्चित किया जाये।

4–गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड से अल्ट्रासाउण्ड की जाँच की व्यवस्था–

वर्तमान में ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर अल्ट्रासाउण्ड व्यवस्था न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को जनपद स्तरीय इकाइयों पर सन्दर्भित करना पड़ता है। इस कारण काफी अधिक संख्या में गर्भवती महिलायें अल्ट्रासाउण्ड सुविधा से वंचित रह जाती है। उपर्युक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2017–18 में गर्भवती महिलाओं को पी0एम0एस0एम0ए0 एवं अन्य दिवसों पर एन्टीनेटल केयर के दौरान अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा से आच्छादित करने के लिये 50 चयनित उच्च प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था नहीं है (सूची संलग्न) पर गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड से अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

उपर्युक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 की राज्य कार्ययोजना में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रेषित आर0ओ0पी0 में कुल रू0 873.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसमें से रू0 457.75000 लाख की धनराशि जनपदों को संलग्न गतिविधिवार फांट के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी),
प्रमुख सचिव

पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/पी0एम0एस0एम0ए0/134/टी.सी./2017–18/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4 समस्त मुख्य चि0 अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला म0 चिकित्सालय/जिला सं0 चिकित्सालय, उ0प्र0।
5 वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0आर0एच0एम0,उ0प्र0।
7 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक